

# न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर, चूरु

पीठासीन अधिकारी : लोकेश कुमार गौतम, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या - 2023/46

दायर दिनांक 17.08.2023

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, रतनगढ़ जिला चूरु।

-सायल-

## बनाम

1. श्री अंकित दुहन पुत्र श्री दलवीर सिंह (विक्रेता मालिक), मैसर्स जय श्री राम फुड प्रोडक्ट, 7th K.M. Stone, Mirjapur Road, Hisar - 125001।
2. श्री मितेश कुमार पुत्र श्री रामतिलक (निर्माता मालिक), मैसर्स जय श्री राम फुड प्रोडक्ट, 7th K.M. Stone, Mirjapur Road, Hisar - 125001।

-गैरसायल-

परिवाद जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (11)/51 व 58 एफ.एस.एस.एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित - 1. खाद्य सुरक्षा अधिकारी वास्ते पैरोकार राज।

2. अधिवक्ता श्री मनोज गहलोत वास्ते गैरसायल।

## निर्णय

दिनांक 28.12.2023

यह परिवाद मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला चूरु से प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रस्तुत प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी के अनुसार निम्नानुसार है :-

1. यह कि मैं विनोद कुमार थारवान कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला चूरु मुख्यालय रतनगढ़ में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादन कर रहा हूँ। और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित नोटिफिकेशन दिनांक 25.07.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है। श्रीमान् आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) एवं निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक एच/पीएफए/नोटीफिकेशन/2011/475 दिनांक 10.08.2011 व खा.सु. एवं ओ.नि./संस्था/2022/2714 दिनांक 01.09.2022 के अनुसार मुझे कार्य क्षेत्र जिला चूरु आवंटित किया गया है जिसके समस्त स्थानिय क्षेत्र मेरे क्षेत्राधिकार में आते हैं। क्षेत्राधिकार बाबत गजट नोटिफिकेशन 11.04.2012 है जो राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित है। उक्त नोटिफिकेशन, अधिसूचना व आदेशों की प्रतियां न्यायनिर्णयन के आवेदन के साथ संलग्न है।
2. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 09.06.2023 को श्रीमान् मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रतनगढ़ जिला चूरु से दूरभाष पर प्राप्त सूचना अनुसार कार्यालय के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के सयुक्त जांच दल में राजकिय वाहन आर जे 10 ई 0082 में सवार हो क्षेत्राधिकार में राजगढ़ पहुंचकर श्री नरेन्द्र नागर (पी) (आरपीएस) पुलिस थाना राजगढ़ से मिला। श्री नरेन्द्र नागर द्वारा श्रीमान् मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रतनगढ़ जिला चूरु को सम्बोधित करते हुये तहरीर क्रमांक एसपीएल-1 दिनांक 09.06.2023 इस आशय के प्रस्तुत की व बताया की थाना क्षेत्र में स्थित रिको क्षेत्र में अंकित दुहन पुत्र श्री दलवीर सिंह जाति जाट उम्र 28 वर्ष निवासी सेक्टर 16 मकान नं. 254 हिसार पुलिस थाना सिविल लाईन हिसार मो० नं० 9306488106 द्वारा विभिन्न खाद्य तेलो को मिलाकर खाद्य पदार्थ घी के नाम से पैक कर बैचान किये जाने की सूचना जरिये मुखबीर प्राप्त होने की दी व फर्म पर नियमानुसार कार्यवाही करने को आग्रह किया। श्री नागर द्वारा प्रस्तुत लिखित तहरीर छायाप्रति संलग्न न्यायनिर्णय आवेदन है।
3. पुलिस विभाग की सूचना व मुखबीर की निशानदेही पर उक्त शिकायती फर्म मै० जय श्री राम फुड प्रोडक्ट काशी राम जाट का प्लाट रिको इन्डस्ट्रीज ऐरीया राजगढ़ जिला चूरु पर 07.00 पी.एम. पर पर पहुंचा। मौके पर श्री अंकित दुहन उपस्थित मिला मैंने श्री अंकित दुहन को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया। श्री दुहन ने स्वयं को संस्थान का मालिक व विक्रेता होना बताया। मेरे द्वारा श्री अंकित दुहन से फर्म के मालिकाना हक व स्वयं की पहचान तथा खाद्य अनुज्ञा पत्र वास्ते जांच मांगे जाने पर विक्रेता द्वारा स्वयं के पहचान पत्र की छाया प्रति व परिसर किराये पर लेने का किरायानामा मौके पर प्रस्तुत किया व भीके पर खाद्य पदार्थ कारोबार के संबंध में खाद्य अनुज्ञा पत्र मौके पर प्रस्तुत करने में असफल रहा। श्री दुहन ने बताया की उनकी मुख्य फर्म मैसर्स जय श्री राम फुड प्रोडक्ट, 7th K-M- Stone, Mirjapur Road, Hisar है। जिसके द्वारा घी के ब्राण्ड हरमन प्लस, डेयरी मोहन, डेयरी



- सुपर के नाम से विभिन्न पैकिंगों में 200 ग्राम 500 ग्राम 1 लीटर/किलो ग्राम 2 लीटर व 15 किलो ग्राम के टिन में पैक कर आम जनता को विक्रय किया जाने का काम किया जाता है। उक्त संस्थान का निरीक्षण करने पर एक 01 कार्टन में पड़े 15 1 लीटर नग वास्ते नमूना जांच 04 1 लीटर घी (हरमन प्लस) विक्रेता से क्रय कर लिया गया। विक्रेता द्वारा माफे पर प्रस्तुत आधार कार्ड व अनुसंधान में प्रस्तुत समस्त कागजात सलग्न न्यायनिर्णयन आवेदन प्रस्तुत है।
4. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नम्बर 5 ए कि प्रतियाँ तैयार कर विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाये। फार्म नम्बर 5ए की एक प्रति विक्रेता श्री अंकित दुहन को देकर रसीद प्राप्त की फार्म नम्बर 5ए की रिपोर्ट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।
  5. यह कि घी (हरमन प्लस) में मिलावट की शंका होने पर मौके पर उपलब्ध 15 कार्टन में पड़े 15X15X1 लीटर टिन पैकड नग में से वास्ते जांच 04 1 लीटर नमूना खरीद किया। जिसकी कीमत विक्रेता श्री अंकित दुहन को 2480/रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाह श्री निर्मल कुमार महर्षि व जगदीश एफसी 1140 पुलिस थाना राजगढ़ के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।
  6. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा घी (हरमन प्लस) को विक्रेता एवं गवाहान के समक्ष उक्त खरीदशुदा घी (हरमन प्लस) पर अभिहित अधिकारी द्वारा जारी हस्ताक्षरयुक्त एक ही कोड व क्रमांक एल-3612 चार स्लीप जारी कि गयी थी। एक ही जैसे चार लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूने की टिन पैकड पर चिपकाये और प्रत्येक लेबल पर अभिहित अधिकारी के कोड एवं क्रमांक एल-3612 दर्ज कर नमूने का विवरण अंकित कर मैने स्वयं हस्ताक्षर कर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर करवाये। उक्त प्रकार से तैयार चारों नमूना भागों को अलग-अलग खाखी कागज में लपेट कर दोनों सीराओं को गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी जिला चूरु की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप नम्बर एल-3612 नियमानुसार नमूना के चारों प्लास्टिक जार पर अराउण्ड गोलाई में टॉप टू बोटम गोद से चिपकाकर प्रत्येक नमूने के भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूने भागों पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये पेपर स्लीप व खाखी कागज एवं खाखी कागज पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाये। नमूने का विवरण अंकित कर मैने स्वयं हस्ताक्षर किये। उक्त समस्त कार्यवाही कि मौके पर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता व गवाहान को पढ़ कर सुनाई व समझाई जिन्होंने सत्यमान हस्ताक्षर किये मैने स्वयं हस्ताक्षर कर मौके पर कागजात व चारों नमूनों के भागों को अपने कब्जे में लिया। कार्टन में शेष बचे 221X1 लीटर टिन पैकड को सीज किया गया व नियमानुसार फार्म नं. 02 व फार्म नं. 03 तैयार कर विक्रेता मालिक व गवाहान के हस्ताक्षर करवा मैने स्वयं हस्ताक्षर किये। नमूना संख्या एल-3612 से संबंधित समस्त कार्यवाही की मौका फर्द तैयार कर विक्रेता व गवाहान को पढ़कर सुनाई व समझाई जिन्होंने सत्यमान हस्ताक्षर किये मैने स्वयं ने हस्ताक्षर कर नमूना सील की प्रति मुद्रा मौका फर्द पर अंकित पर स्वयं के हस्ताक्षर किये। जो सलग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।
  7. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पर पहुंचकर नमूने की जांच हेतु ज्ञापन फार्म नम्बर 6 की सात प्रतियाँ तैयार कर मौके पर सील चपड़ी किये गये नमूनों में प्रयुक्त नमूना सील कि प्रति मुद्रा अंकित कर नमूने का विवरण अंकित किया। उक्त प्रकार से तैयार कर पुनः नमूनों के भागों को आउटर कवर में मय फार्म नम्बर 6 की प्रति रखकर धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपड़ी कर सील बन्द किया। तैयार ज्ञापन फार्म नम्बर 6 की दो मुख्य खाद्य विश्लेषक राज्य, केन्द्रीय प्रयोगशाला राजस्थान जयपुर का पता अंकित लिफाफे में रख सील चपड़ी किया। उक्त प्रकार से तैयार आउटर कवर में रखा नमूना संख्या एल-3612 का एक नमूना भाग व पृथक से सील-चपड़ी सुदा लिफाफा कार्यालय के श्री विनोद कुमार थारवान खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय हाजा रतनगढ़ के माध्यम से प्रयोगशाला में जमा करा जमा की रसीदे प्राप्त की गई। शेष दो सील बन्द नमूना दो तैयार ज्ञापन प्रतियों के आउटर कवर में नियमानुसार सील बन्द कर तथा नमूनों का चौथा भाग अलग से आउटर कवर में नियमानुसार सील बन्द कर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला चूरु मुख्यालय रतनगढ़ को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो कि न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलग्न है।
  8. सयुक्त जांच दल द्वारा मौके पर समस्त कार्यवाही करने के पश्चात आम जन के स्वास्थ्य के हित में मैसर्स-जय श्री राम फुड प्रोडक्ट, 7th K-M- Stone, Mirjapur Road, Hisar के मालिको द्वारा काशी राम जाट का प्लॉट रिको इन्डस्ट्रीज ऐरीया राजगढ़ जिला चूरु में संचालित घी की फैक्ट्री में स्व्हे समस्त तैयार खाद्य पदार्थ घी व वनस्पति व पाम ऑयल भरे टिनो रेपर व गत्ता कार्डुनो इत्यादि को एक लगभग 50X70 फिट के पके पोस हॉल में बन्द कर विक्रेता



की सुरक्षित अभिरक्षा में रखवाया गया व विक्रेता गवाहान के समक्ष हस्त लिखित फर्द तैयार की गई जो असल संलग्न न्यायनिर्णयन है।

9. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला चूरु मुख्यालय रतनगढ द्वारा अग्रेषण पत्र क्रमांक-834 दिनांक 30.06.2023 के साथ संलग्न कर खाद्य विश्लेषक, राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला राजस्थान जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./2401/एक्ट/2023/2404 दिनांक 23.06.2023 प्राप्त हुई जिसका अवलोकन करने पर पाया कि विक्रेता श्री अंकित दुहन से वास्ते नमूना जांच कय कर लिया गया खाद्य पदार्थ घी, सबस्टैण्डर्ड फुड व Contravenes Regulation No 2.3.7(2) Of Food Safety And Standards (Prohibitions and Restrictions on Sales) Regulations 2011 Due to Presence of Foreign Fat होना पाया। जांच रिपोर्ट मय अग्रेषण पत्र न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।



गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। तामिल होने के बाद गैरसायल की ओर से अधिवक्ता श्री मनोज गहलोत ने वकालत-नामा पेश किया व दिनांक 13.10.2023 को गैरसायल की ओर से जवाब पेश किया तथा दिनांक 20.12.2023 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी के बयान गवाह एवं बहस करवायी गयी।

गैरसायल अधिवक्ता ने अपने जवाब में कहा कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मेरी दुकान से घी के चार सैम्पल लेकर चार परिवाद प्रकरण (2023/45, 2023/46, 2023/47, 2023/48) तैयार कर न्यायालय में पेश किये गये हैं। उक्त सभी प्रकरणों में लिये गये सैम्पल की जांच रिपोर्ट सबस्टैण्डर्ड आयी है। श्रीमानजी मेरे द्वारा कभी भी कोई मिलावट नहीं की गई है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मेरे विरुद्ध कार्यवाही करते हुए जानबूझकर एक प्रकरण नहीं बनाकर अलग-अलग चार प्रकरण बना दिये गये हैं, जो कि उचित नहीं है। श्रीमानजी मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति उचित नहीं है। मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो चुका है, माताजी कैंसर पीड़ित है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दुकान में जब्त किया हुआ सामान भी पड़ा रहने से खराब हो रहा है। मेरे विरुद्ध समस्त कार्यवाही निरस्त कर प्रकरण निस्तारण के आदेश फरमाने की कृपा करें।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी रतनगढ ने बहस में कहा कि खाद्य पदार्थ घी (हरमन प्लस) का सैम्पल नं. एल-3612 FOOD रिपोर्ट संख्या एल.एस./2401/एक्ट/2023/2404 दिनांक 23.06.2023 के अनुसार सबस्टैण्डर्ड फुड व Contravenes Regulation No 2.3.7(2) Of Food Safety And Standards (Prohibitions and Restrictions on Sales) Regulations 2011 Due to Presence of Foreign Fat होना पाया, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(11) का उल्लंघन हुआ है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 51 व 58 में उल्लेखित शास्ति से गैरसायल को दण्डित किया जावे।


खाद्य सुरक्षा अधिकारी रतनगढ व अधिवक्ता गैरसायल को सुना गया। परिवाद पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया। चूंकि गैरसायल द्वारा बेचे जा रहे खाद्य पदार्थ घी (हरमन प्लस) की रिपोर्ट संख्या एल.एस./2401/एक्ट/2023/2404 दिनांक 23.06.2023 से सबस्टैण्डर्ड फुड व Contravenes Regulation No 2.3.7(2) Of Food Safety And Standards (Prohibitions and Restrictions on Sales) Regulations 2011 Due to Presence of Foreign Fat होना पाया गया है। इस प्रकार गैरसायलान के द्वारा सबस्टैण्डर्ड व Contravenes Regulation No 2.3.7(2) Of Food Safety And Standards (Prohibitions and Restrictions on Sales) Regulations 2011 Due to Presence of Foreign Fat खाद्य पदार्थ विक्रय का कारोबार करना परिवाद से साबित है।

उपर्युक्त विवेचना के परिपेक्ष्य में गैरसायलान को सबस्टैण्डर्ड व Contravenes Regulation No 2.3.7(2) Of Food Safety And Standards (Prohibitions and Restrictions on Sales) Regulations 2011 Due to Presence of Foreign Fat खाद्य पदार्थ घी (हरमन प्लस) बेचने के कारण अधिनियम की धारा 51 व 58 के अन्तर्गत गैरसायल संख्या 1. श्री अंकित दुहन पुत्र श्री दलवीर सिंह (विक्रेता मालिक), मैसर्स जय श्री राम फुड प्रोडक्ट, 7th K.M. Stone, Mirjapur Road, Hisar - 125001 को रूपये 5,00,000/- (पांच लाख रूपये) की शास्ति तथा गैरसायल संख्या 2. श्री मितेश कुमार पुत्र श्री रामतिलक (निर्माता मालिक), मैसर्स जय श्री राम फुड प्रोडक्ट, 7th K.M. Stone, Mirjapur Road, Hisar - 125001 को रूपये 2,00,000/- रूपये (दो लाख रूपये) की शास्ति अधिरोपित की जाती है तथा गैरसायलान को हिदायत दी जाती है कि भविष्य में पुनः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 का उल्लंघन नहीं करें। गैरसायलान उक्त राशि 15 दिवस के अन्दर अन्दर जरिये चालान बैंक में राज्य सरकार के बजट हैड-0210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800-अन्य प्राप्ति, (03)- खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि में जमा कराकर चालान की प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी को

अतिरिक्त जिला कलक्टर, चूरु

देवे अन्यथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निर्देश दिये जाते है कि गैरसायलान द्वारा शास्ति राशि जमा नहीं करवाये जाने पर गैरसायलान के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जावे तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी, रतनगढ़ को यह भी निर्देश दिये जाते है कि प्रकरण में जब्त सामग्री का नियमानुसार निस्तारण की कार्यवाही की जावे। पत्रावली फँसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।  
निर्णय आज दिनांक 28.12.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



  
(लोकेश कुमार गौतम)  
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, चूरु  
अतिरिक्त जिला कलेक्टर, चूरु